

कार्यालय कलेक्टर (जिला पंचायत) राजनांदगांव



क्रमांक/ 10955 / जि.पं./ NREGA/2009-10

राजनांदगांव, दिनांक 31/03/2010

प्रति ,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, मानपुर.

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजानातर्गत अनुमोदित कार्यों की सूची प्रेषित करने बाबत ।

सन्दर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/6864/ जि.पं./ NREGA/2007-08 राजनांदगांव दिनांक 30/11/2007

—00—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक राजनांदगांव से अनुमोदित कराकर निम्नांकित कार्यों की सूची

प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा रही है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निम्न बिन्दुओं का पालन करते

- (1) संबंधित पंचायतों को पूर्व में दिये गये अब तक की पूरी राशि का एम.आई.एन्ट्री कराने के पश्चात् ही नया कार्य प्रारंभ कराया जावे ।
- (2) कार्य की मांग, पूर्व स्वीकृत कार्य की प्रगति एवं आर्बिट्रि राशि को ध्यान में रखकर ही प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किया जावे ।
- (3) किसी भी स्थिति में पंजीकृत परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से अधिक रोजगार उपलब्ध न कराया जावे ।
- (4) मजदूरी भुगतान संबंधित को खातों के द्वारा बैंक/डाकघर के माध्यम से किया जावे ।
- (5) रोजगार गारंटी अधिनियम अनुसार ही कार्य क्रियान्वित किया जावे, अवहेलना की स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिम्मेदार होंगे ।

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	कार्य का नाम	इकाई (किमी. /घ.मी. में)	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	विकास खंड	विधान सभा	तकनीकी स्वीकृति	प्रशासकीय स्वीकृति राशि			
								सामग्री हेतु	अर्द्धकुशल हेतु	अकुशल हेतु	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर											
1	तालाब जीर्णोद्धार एवं पचरीकरण कार्य	5475	मानपुर	मानपुर	मानपुर	मोहला-मानपुर	5.13	0.85	0.00	4.28	5.13
1	योग-						5.13	0.85	0.00	4.28	5.13
(कुल राशि-पांच लाख तेरह हजार रुपये मात्र)											

(कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत राजनांदगांव